कार्यालय जिला पंचायत गाजीपुर

दिनांक 18 मई 2022

परमिट संख्या 042 / 2022 मानचित्र / जि0पं0गा0 / 2021–22

श्रीमती साधना
पुत्री श्री विजय बहादुर
कुमार पहलवान स्मारक ट्रस्ट
ग्राम व पोस्ट–पाण्डेयपुर राधे, तह0–सदर
जनपद–गाजीपुर

अनुज्ञा–पत्र

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 25.03.2022 के साथ संलग्न मानचित्र में प्रदर्शित भूमि खसरा/गाटा संख्या–122 व 114स्थित ग्राम–पाण्डेयपुर राधे, परगना व तहसील–सदर, जनपद–गाजीपुर हिन्द केशरी विजय बहादुर पहलवान कालेज ऑफ फार्मेसी के भवन के निर्माण हेतु कवर्ड एरिया 4318.42 वर्ग मी0 प्रस्तावित मानचित्र की स्वीकृति कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी गोण्डा के पत्रांक UPFS/2022/N-012/GHZ/GHAZIPUR/2563/ CFO द्वारा अग्निशमन प्रमाण पत्र की छायाप्रति को दृष्टिगत रखते हुए सम्यक विचारोपरान्त मा0 अध्यक्ष द्वारा दिनांक 18.05.2022 को स्वीकृति प्रदान की गई है।

मा0 अध्यक्ष की स्वीकृति दिनांक 18.05.2022 के अनुक्रम में उपर्युक्त मानचित्र पंचायत गाजीपुर की भवन निर्माण उपविधि इलाहाबाद शनिवार 12 मई 2018 भाग–3 के खण्ड "घ" जिला पंचायत के उपबन्धों के अधीन तथा निम्नलिखित उपबन्धों/प्रतिबंध सहित स्वीकार किया जाता है।

1. अनुज्ञा पत्र जारी करने उपरान्त यदि संज्ञान में आता है कि नक्शा स्वीकृति हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख फर्जी है अथवा गलत है, तो जिला पंचायत द्वारा की गयी स्वीकृति स्वयं में निरस्त मानी जायेगी। निर्माण ध्वस्त किया जा सकता है अथवा सील किया जा सकता है।
2. मानचित्र स्वीकृति के उपरान्त आवेदक द्वारा लोक निर्माण विभाग,अग्निशमन विभाग,प्रदूषण विभाग,पर्यावरण विभाग, वाणिज्य कर विभाग जिला प्रशासन एवं अन्य विभागों से यथा आवश्यक लाइसेंस/अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्यस्थल पर स्वीकृति मानचित्र के अनुसार निर्माण कार्य कुशल एवं दक्ष आर्किटेक्ट/इंजीनियर की देख–रेख में कराना होगा।
3. प्रतिबंध यह रहेगा कि प्रस्तावित भवन निर्माण कार्य, करते समय तथा निर्माण अवधि में कोई भी निर्माण सामग्री सम्मुख मार्ग पर एकत्रित/अतिक्रमण नहीं किया जायेगा।
4. प्रतिबंध यह रहेगा कि आवेदक द्वारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट स्थापित जलमल/सीवेज/उत्सर्जित पदार्थ का निस्तारण पर्यावरण/प्रदूषण विभाग के मानकों के अनुरूप सुनिश्चित किया जाये।
5. प्रतिबंध यह रहेगा कि मुख्य मार्ग के मध्य बिन्दु से निर्माण स्थल की प्रतिबन्धित दूरी के सम्बन्ध में रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल रूल्स/लोक निर्माण विभाग एवं सिचांई विभाग के नियम यथावत लागू रहेंगे।
6. प्रतिबंध यह रहेगा कि विद्यालय भवन निर्माण कार्य मानचित्र के अनुसार कुल कवर्ड एरिया भवन 4318.42 वर्ग मी0 एवं ओपेन एरिया 6062.00 वर्ग मी0 से ही निर्माण कार्य प्रतिबन्धित होगा।
7. प्रतिबंध यह रहेगा कि कम से कम 13 वृक्ष का वृक्षारोपण अनिवार्य रूप से करना होगा।
8. प्रतिबंध यह रहेगा कि भवनों के स्ट्रक्चरल प्राविधानों के नेशनल बिल्डिंग कोड की सुरक्षा मानकों के अनुसार ही कराया जायेगा। यह उत्तरदायित्व भवन स्वामी/संस्था का होगा।
9. प्रतिबंध यह रहेगा कि भवन निर्माण अग्निशमन/सुरक्षा सम्बन्धी अन्य समस्त प्राविधानों(अनिवार्य रूप से) को स्थानीय मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र के अनुसार कराया जायेगा।
10. प्रतिबंध रहेगा कि समय–समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेश मान्य होगा।
11. प्रतिबंध यह रहेगा कि रेनवाटर हार्वेस्टिंग पद्धति को अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करना होगा।
12. भवन निर्माण में श्रम विभाग के प्राविधानों का पालन करते हुए आवश्यक सेस कर का भुगतान श्रम विभाग को भवन स्वामी/संस्था द्वारा करना होगा।
13. स्वीकृत मानचित्र में इलेक्ट्रिक लाइन से उर्ध्वाधर दूरी 3.70(0.305 मीटर)प्रत्येक अतिरिक्त 33000 वोल्टेज एवं 1.80(0.305) प्रत्येक 33000 वोल्टेज पर क्षैतिज दूरी सुनिश्चित की जायेगी।

Sadhana
अध्यक्ष
कुमार पहलवान स्मारक ट्रस्ट
पाण्डेयपुर राधे–गाजीपुर